रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 99] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 3, 1988/फाल्गुन 13, 1909
No. 99] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 3, 1988/PHALGUNA 13, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

IndiaCode

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1988

सा. का. नि. 324(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) नियमावली, 1985 को संशोधित करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) तीसरा संशोधन नियमावली, 1988 है ।

(2) ये पहली नवम्बर, 1986 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियमावली, 1985 में नियम 11 के लिए, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात् :—

"11. छुट्टी यात्रा रियायत :—अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य उन्हीं दरों पर और उन्ही मापमानों और उन्हीं शर्तों पर, जो 7300-100-7600 रुपए या उससे ऊपर के वेतनमान में वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के श्रेणी "क" अधिकारी को लागू हैं, छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार होगा ।"

[संख्या ए. 12018/5/86-ए. टी.]

श्रीमती पी. वी. वल्सला जी. कुट्टी, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने पहली नवम्बर 1986 से केन्द्रीय सिविल सेवा समूह "क" के संबंध में छुट्टी यात्रा रियायत में संशोधन किए जाने संबंधी चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर लिए गए निर्णयों का कार्यान्वयन करने का निर्णय किया है। तदनुसार, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष: उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा शर्तें) नियमावली, 1985 में 1 नवम्बर 1986 से संशोधन किया जा रहा है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

पाद-टिप्पणी : मुख्य नियम भारत के राजपत्र में दिनांक 10-8-85 को सा. का. नि. संख्या 644(ई) द्वारा प्रकाशित किए गये थे और बाद मे (i) सा. का. नि. संख्या 585(ई) दिनांक 18-6-87 (ii) सं. 9(ई) दिनांक 6-1-88 तथा (iii) सं. 79(ई) दिनांक 4-2-1988 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 1988

G.S.R. 324 (E) .—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of section 35 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Central Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1985, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Third Amendment Rules, 1988.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of November, 1986.

2. In the Central Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1985, for rule 11, the following rule shall be substituted, namely :—

"11. Leave Travel Concession : The Chairman, a Vice-Chairman or a Member shall be entitled to the leave travel concession at the same rates and at the same scales and on the same conditions as are applicable to a Group 'A' Officer of the Central Government drawing a pay in the scale of Rs. 7300-100-7600 or above."

[No. A-12018|5|86-AI]

SMT. P. V. VALSALA G. KUTTY, Under Secy

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has decided to implement the decisions taken on the recommendations of the Fourth Central Pay Commission relating to revision of Leave Travel Concession in respect of the Central Civil Services Group 'A' with effect from 1st November, 1986. The Central Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1985 are being amended accordingly with effect from 1st November, 1986.

2.. It is certified that no Chairman, Vice-Chairman and Member of the Central Administrative Tribunal is likely to be affected adversely by this notification being given retrospective affect.

Footnote :—The Principal rules were published vide No. G. S. R. 644 (E) dated the 10th August, 1985 in the Gazette of India and subsequently amended vide :—

(i) No. G.S.R. 585 (E) dated 18-6-1987
(ii) No. G.S.R. 9 (E) dated 6-1-1988
(iii) No. G.S.R. 79 (E) dated 4-2-1988

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1988